

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/स्था.04-02/10-----/ राँची, दिनांक : -----/

कार्यालय आदेश

दिनांक 17.11.2011 को सम्पन्न स्थापना समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में श्री सुनील कुमार सिंह, कनीय अभियंता, जिनकी सेवा कार्यालय आदेश ज्ञापांक 2225 दिनांक 08.08.11 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से वापस लेते हुए मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा परियोजना चांडिल के प्रक्षेत्राधीन सौंपी गई थी, को संशोधित करते हुए उनकी सेवा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची के प्रक्षेत्राधीन सौंपी जाती है।

Eo-

(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची/मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र राँची/ मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा परियोजना चांडिल / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/ संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Eo-

(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Eo-

(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :-

3190

राँची, दिनांक :-

24.11.11

प्रतिलिपि :- W.I.M.O. जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव (प्र.)।